

कार्यालय जिलाधिकारी, Prayagraj
(खनन अनुभाग)

पत्रांक :-UP/Prayagraj/No-2635, Dated: 12-02-2024

दिनांक :-12-02-2024

ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद Prayagraj में उपलब्ध Silica sand के रिक्त क्षेत्रों को शासनादेश संख्या-2484 / 86-2019-60 (सा०) / 2019 दिनांक 19.12.2019 व उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के अध्याय-4 के अन्तर्गत ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से अधिकतम 30 वर्ष की अवधि के लिये खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नवत घोषित किया जाता है.-

1. क्षेत्र का विवरण:-

क्र०सं०	एरिया कोड	उपखनिज का नाम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण			जियोकोर्डिनेट		नियमावली 2021 के अनुसूची-1 के अनुसार रायल्टी दर (रु० प्रति घन मी)	खनन योग्य आंकलित उप खनिज की मात्रा (घन मी० प्रति वर्ष)	प्रथम वर्ष में आंकलित मात्रा की कुल रायल्टी रु० में	अर्नेस्ट मनी (कॉलम 13 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत रु० में)	
				तहसील	ग्राम/ एरिया कोड	गाटा सं०/ खंड सं०/ जोन सं०	क्षेत्रफल (हे० में)	अक्षांश					देशांतर
1	1619860101	Silica sand	Silica Sand	Bara	Othgi Tarhar - 161986	377 MI	2.0000	A- 25°-16'55.26" B- 25°-16'55.08" C- 25°-16'49.16" D- 25°-16'50.05"	A- 81°-37'54.72" B- 81°-37'56.99" C- 81°-37'56.72" D- 81°-37'50.96"	150	6848	1027200.00	256800.00
2	1619900102	Silica sand	Silica Sand	Bara	Bakhipur - 161990	53	1.1000	A- 25°-17'21.253" B- 25°-17'20.129" C- 25°-17'19.736" D- 25°-17'15.649" E-25°-17'16.2" F- 25°-17'17.666" G- 25°-17'18.537" H- 25°-17'18.987" I- 25°-17'18.775"	A- 81°-40'6.181" B- 81°-40'8.369" C- 81°-40'9.748" D- 81°-40'9.688" E- 81°-40'8.555" F- 81°-40'7.277" G- 81°-40'7.162" H- 81°-40'6.051" I-81°-40'5.022"	150	1085	162750.00	40687.50
3	1619930103	Silica sand	Silica Sand	Bara	Dhara - 161993	136	3.5600	A-25°-17'1.95" B- 25°-16'59.087" C- 25°-16'53.761" D- 25°-16'56.861" E- 25°-16'55.392" F-25°-17'0.2"	A- 81°-39'58.301" B- 81°-40'5.124" C- 81°-40'5.698" D- 81°-40'0.476" E- 81°-39'59.04" F- 81°-39'55.19"	150	4714	707100.00	176775.00

2.ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से अधिकतम 30 वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टे पर स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टा के निष्पादन की तिथि से खनन प्रकरण प्रारम्भ माना जायेगा तथा पट्टा के अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख निष्पादन की तिथि से की जायेगी।

3.उपखनिज की ई - निविदा सह ई-नीलामी की बिड / बोली प्रति टन के लिए दी जायेगी जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अनुसूची-1 में निर्धारित रायल्टी की दर (आधार मूल्य) से कम नहीं होगी। इससे कम बिड / बोली दिये जाने पर बिड / बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्री बिड अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी। जहाँ क्षेत्र में एक से अधिक उपखनिज उपलब्ध हो वहाँ ऐसे उपखनिज, जिसकी रायल्टी सर्वाधिक हो, को आधार मूल्य माना जायेगा।

4.खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने की दशा में नियम-23(4) के अन्तर्गत क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज के अनुसार मात्रा को आवश्यकतानुसार निर्धारित किया जायेगा। निर्धारित मात्रा को उच्चतम बिड / बोली की दर (रुपये प्रति घनमीटर) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित किया जायेगा। प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर अनुवर्ती वर्षों के लिए विगत वर्ष से 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी, किन्तु अनुवर्ती वर्षों में संदेय धनराशि नियमावली में विनिर्दिष्ट रायल्टी दर से कम नहीं होगी। पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा यदि उक्त मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र की मात्रा को मान्य किया जायेगा

5.ई-निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई-निविदा सम्पन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई-निविदा (e-tender) देने का अवसर प्राप्त होगा जो पुनरीक्षित (revise) नहीं किया जा सकेगा। ई-निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुये

द्वितीय चरण में ई-नीलामी कराया जायेगा, जिसके दौरान बिडर्स ई-नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई-बिड दे सकते हैं। ई-नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा, जिसको देखते बिडर अपना बिड पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते हैं।

6. विज्ञापित खनन क्षेत्र के ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र के आरक्षित मूल्य का 25 प्रतिशत प्री बिड अर्नेस्ट मनी एमएसटीसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा करना अनिवार्य होगा।

7. निर्धारित खण्डों में उपखनिज की खनन योग्य कुल मात्रा वार्षिक मात्रा एवं उस क्षेत्र के प्री-बिड अर्नेस्ट मनी का निर्धारण उपरोक्त प्रस्तरो के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति, जिसमें अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी / तहसीलदार तथा जिले में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी / खान अधिकारी / खान निरीक्षक होंगे, द्वारा कराया गया है, जो तालिका में प्रदर्शित है।

8. एम०एस०टी०सी० लि० (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से ई-निविदा सह ई-नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन एम०एस०टी०सी० के ई-आक्सन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जायेगी।

9. इच्छुक आवेदकों के लिये ऑनलाईन बिड / बोली हेतु Class III Signing type डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम०एस०टी०सी० लि० के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्द्ध आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे। ई-निविदा सह ई-नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान डी०एस०सी० की वैधता बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

10. पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर आनलाईन एक या एक से अधिक क्षेत्रों के लिये बिड में भाग ले सकेंगे, परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग-अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी जमा करना होगा। इच्छुक व्यक्ति / फर्म/कम्पनी (आवेदक) को ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिये सरकार के पक्ष में ₹0 15,000 (₹0 पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम०एस०टी०सी० के पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

11. ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति / फर्म/कम्पनी को एम०एस०टी०सी० लि० में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध आनलाईन फार्म भरना पड़ेगा, जिसके दौरान बिडर्स अपने लिये स्वयं जनित यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस ऑनलाईन पंजीकरण के उपरान्त बिडर्स को एम०एस०टी०सी० लि० द्वारा भेजी गयी सूचना ई-मेल पर प्राप्त होगी, जिसके पश्चात बिडर्स द्वारा आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम०एस०टी०सी० लि० को ऑनलाईन भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स द्वारा वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी.एस.टी. सहित ₹0 2,360 (₹0 दो हजार तीन सौ साठ मात्र) एम०एस०टी०सी० पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात ही बिडर्स का लॉगिन आई०डी०, पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम०एस०टी०सी० लि० के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा। पूर्व में पंजीकृत बिडर्स, जिसके पंजीकरण की अवधि वैध है, उन्हें पंजीकरण शुल्क देना नहीं होगा, परन्तु नये नियमों के अनुसार आवश्यक अभिलेख यथा हैसियत प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात ही उनका पंजीकरण चालू (Activate) हो पायेगा।

12. पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख / प्रमाण-पत्र स्कैन कर एम०एस०टी०सी० लि० के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा :-

- 1) आवेदक के आधार कार्ड की प्रति फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक की चिन्हंकन संख्या Director Identification Number (DIN) के प्रमाण-पत्र की प्रति।
- 2) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण-पत्र फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ पत्र कि कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहाँ आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो।
- 3) आवेदक के पैन कार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मामले में उसका पैन कार्ड एवं जी०एस०टी० नं० की प्रति।
- 4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई-निविदा सह ई-नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खाता संख्या, आई०एफ०एस०सी० कोड तथा एक निरस्त चेक की प्रति।



5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया नहीं होने का प्रमाण-पत्र जहाँ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है, वहाँ इस आशय का शपथ पत्र की प्रति ।

6) उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली - 2021 नियम - 23 (2) (ख) के अनुसार विज्ञापित क्षेत्र अथवा क्षेत्र से अधिक भाग का पूर्ववर्ती पट्टाधारक, जिसका पट्टा हाल ही में समाप्त हुआ हो, के सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र । उक्त प्रमाण पत्र अपलोड न करने की दशा में आवेदक पर नियम - 23 (2) (ख) के प्राविधान लागू नहीं होंगे।

7) स्वयं का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारण्टी, जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम नहीं हो। कम्पनी के मामले में बैंक द्वारा जारी Solvency मान्य होगा ।

13. एम०एस०टी०सी० लि० द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की वेबसाइट से वसूली प्रमाण पत्र एवं ब्लैक लिस्ट की सूची से मिलान करने के उपरान्त केवल उन्हीं व्यक्ति / फर्म / कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत आई हो ।

नियम-28 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते है -

1) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है।

2) जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है।

3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है। शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण-पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।

4) जिसने अपना आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत नहीं की हो।

5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो ।

6) फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैनकार्ड तथा जी०एस०टी० पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया हो।

7) जिसने हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारण्टी, जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो प्रस्तुत नहीं किया हो। कम्पनी के मामले में बैंक द्वारा जारी Solvency मान्य होगा।

14. रिक्त क्षेत्रों का विज्ञापन खण्डों का निर्धारण एवं उनका मूल्यांकन होने के उपरान्त उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली - 2021 के नियम - 23 (1) के अन्तर्गत क्षेत्रों की घोषणा की जायेगी। इसके उपरान्त अध्याय-4 के प्राविधानों के अन्तर्गत तथा निम्न प्रक्रिया के अनुसार रिक्त क्षेत्रों का विज्ञापन एम०एस०टी०सी० लि० के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com दैनिक समाचार पत्रों एवं विज्ञापन पट (नोटिस बोर्ड पर चस्पा / प्रकाशित किया जायेगा ।

1) जिलाधिकारी द्वारा उक्त नियमावली के नियम - 23 (1) के अन्तर्गत घोषणा होने के उपरान्त क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा पट्टे पर देने के लिए ई-निविदा के दिनांक से कम से कम 30 दिन पूर्व सार्वजनिक नोटिस (सूचना) / विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी । इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्रों का सम्पूर्ण विवरण एम०एस०टी०सी० लि० को भी ई-मेल से उपलब्ध कराया जायेगा ताकि क्षेत्रों की विज्ञप्ति एम०एस०टी०सी० लि० के पोर्टल पर किया जा सके। जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये क्षेत्रों का विवरण एम०एस०टी०सी० लि० के पोर्टल पर डालने के बाद इसकी पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के दो सदस्यों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से किया जायेगा। डिजिटल सिग्नेचर से पुष्टि के उपरान्त ही क्षेत्रों का विवरण ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु एम०एस०टी०सी० लि० के वेब पोर्टल पर बिडर्स एवं सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध होगा । विज्ञप्ति की पुष्टि करते समय समिति के जिन सदस्यों का नाम ई-पोर्टल पर विज्ञप्ति के कैटलॉग में प्रदर्शित होगा, उन्हीं सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर से प्राप्त ई-निविदाओं को खोला जा सकेगा। ई-निविदा सह ई-नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान समिति के सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर की वैधता बनाये रखने की जिम्मेदारी समिति के सदस्यों की होगी। डिजिटल सिग्नेचर के नवीनीकरण अथवा समिति के सदस्यों के स्थानान्तरण आदि की स्थिति में डिजिटल सिग्नेचर के परिवर्तन की दशा में एम०एस०टी०सी० लि० को सूचित करना अनिवार्य होगा, ताकि ई-पोर्टल पर एम०एस०टी०सी० लि० द्वारा आवश्यक बदलाव किया जा सके ।

2) क्षेत्रों का विवरण यथा ग्राम, गाटा सं० / खण्ड सं०, क्षेत्रफल, जियो-कोऑर्डिनेट का विवरण, क्षेत्र के लिए निर्धारित प्री बिड अर्नेस्ट मनी उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित है।

3) ऑनलाईन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलामी बोलने की विधि एवं शर्तों का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम०एस०टी०सी० लि० के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा पोर्टल पर निविदाकार द्वारा देखा जा सकेगा। विज्ञप्ति में यदि कोई संशोधन होता है तो संशोधन www.mstcecommerce.com के वेब पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा। वेब पोर्टल पर प्रदर्शित विज्ञप्ति सम्बन्धी सूचना / संशोधन निविदाकार द्वारा पढ़ी हुई मानते हुए उनकी सहमति समझी जायेगी ।

4) समाचार पत्र में प्रकाशन के दिनांक से ही विज्ञप्ति की तिथि की गणना की जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समाचार पत्रों में प्रकाशन के दिनांक से कम से कम 30 दिन पश्चात ही ई-निविदा प्राप्त करने की तिथि निर्धारित की जायेगी तथा प्री-बिड अर्नेस्ट मनी जमा करने की अन्तिम तिथि के अगले दिन से आगामी 04 दिन तक ई-निविदा प्राप्त की जायेगी।

5) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति / फर्म / कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक ₹0 15,000 (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) का आवेदन शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेस्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम के सम्मुख अंकित हो, तो एमएसटीसी में जमा किया जाना होगा।

6) सफल बोलीदाता / निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता / निविदादाता द्वारा जमा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) बोलीदाता / निविदादाता के बैंक के खाते में वापस कर दी जायेगी। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में बदलाव मान्य नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अनुमोदन उपरान्त बैंक खाते का बदलाव किया जा सकता है।

7) जहाँ किसी भी कारण से ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो वहाँ कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की जा सकती है।

8) उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम - 94 (3) के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी व्यक्ति / फर्म/कम्पनी के पक्ष में अधिकतम तीन खनन पट्टे अथवा 400 हे0 से अधिक के क्षेत्र को स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में 03 खनन पट्टे अथवा 400 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का खनन पट्टा स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टा स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टा निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के तीन क्षेत्र के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में 03 खनन पट्टे अथवा 400 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का खनन पट्टा होने की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।

15. जिलाधिकारी द्वारा ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया को सम्पादित करने हेतु निम्नानुसार निविदा समिति का गठन किया जायेगा:-


- 1) जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी / प्रभारी अधिकारी खनन, (अध्यक्ष)
- 2) जिलाधिकारी द्वारा नामित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी (सदस्य)
- 3) जिले में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी / खान अधिकारी / खान निरीक्षक, (सदस्य-सचिव) जिलाधिकारी तथा समिति के सभी सदस्यों का डिजिटल सिग्नेचर (Class III Signing cum Encryption) का होना आवश्यक है, यदि किसी सदस्य का उक्त डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो उसे तत्काल बनवा लिया जाये।

16. ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया :-

1) ई-निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई-निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत डाली जायेगी। बिड / रॉयल्टी की दर प्रत्येक उपखनिज के लिये प्रतिघनमीटर के लिये दी जायेगी, जो सम्बन्धित उपखनिज के लिये नियमावली - 2021 के अनुसूची-1 में उल्लिखित रॉयल्टी की दर से कम नहीं होगा। विज्ञप्ति के अनुसार क्षेत्रवार प्राप्त ई-निविदा को एक साथ न खोलकर पृथक-पृथक खोला जायेगा। प्रत्येक क्षेत्र के प्रथम चरण की ई-निविदा खोलने के तत्काल 02 घंटे बाद द्वितीय चरण की ई-नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी -

(क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में दी गयी धनराशि निर्धारित न्यूनतम बोली से 200 प्रतिशत से अधिक है तथा निविदादाता शेष शर्तें पूर्ण करता हो तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदादाता के पक्ष में आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा।



(ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड (ऑफर) 200 प्रतिशत से कम है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की मांग क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुए स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी करने अथवा जारी नहीं करने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे।

(ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पाँच या पाँच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिडकर्ता द्वितीय चरण की ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अई होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा।

(घ) यदि पाँच से अधिक बिड / ऑफर प्राप्त होते हैं तब केवल पाँच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अई होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा।

(ङ) प्रतिबन्ध यह है कि आशय पत्र जारी किये जाने से पूर्व संबंधित पट्टा क्षेत्र के पूर्ववर्ती पट्टाधारक जिसका पट्टा हाल ही में समाप्त हुआ हो, को ई-निविदा सह ई-नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त एक कार्यदिवस के भीतर संबंधित पट्टा क्षेत्र पर पूर्ण प्रादेशिक (Teritorial) अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव जो उच्चतम बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने का एक अवसर नियम - 23 (2) के शर्तों के अधीन दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार पूर्ववर्ती पट्टाधारक जिसने पंजीकरण के समय बिन्दु संख्या - 18 (6) के अनुसार पूर्ववर्ती पट्टाधारक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो तथा ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रथम चरण ई-निविदा में भाग लिया हो, को क्षेत्र विशेष जिसमें पूर्व पट्टे का 50 प्रतिशत से अधिक भाग आच्छादित हो की नीलामी पूर्ण होने पर इसके उच्चतम बोली को स्वतः संज्ञान में लेकर उससे अधिक के आफर का पत्र अपने हस्ताक्षर सहित स्कैन कर अपने रजिस्टर्ड ई-मेल आई०डी० के माध्यम से ई नीलामी की समाप्ति की तिथि से अगले कार्यदिवस के सांय 05:00 बजे तक जिलाधिकारी के ई-मेल आई०डी० एवं एम०एस०टी०सी० लि० के मेल आई०डी० पर तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प होगा, अन्यथा की दशा में पूर्ववर्ती पट्टाधारक होने के आधार पर उपरोक्त प्राथमिकता का उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली - 2021 के नियम-23 (2) ख के अन्तर्गत लाभ नहीं मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट तीन कार्य दिवसों में उक्त के संबंध में निर्णय लेकर संबंधित पूर्व पट्टाधारक, एम०एस०टी०सी० लि० एवं नीलामी में भाग लेने वाले उच्चतम बोलीदाता को सूचित करेंगे।

3) उपरोक्त प्रस्तर-16 (2) (ग), (घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते है।

4) द्वितीय चरण में ई नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रक्रिया होगी जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड / आफर द्वितीय चरण की ई नीलामी के लिये न्यूनतम बोली (floor price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।

5) ई-नीलामी की प्रक्रिया, जो ई-निविदा खोलने के तत्काल 02 घंटे बाद प्रारम्भ होगी, में इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति / फर्म / कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकता है। ई-नीलामी की ऑन लाईन प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाईन ही दिया जा सकता है।

6) निर्धारित समय के पश्चात् बोली बन्द हो जायेगी ओर उसके उपरान्त कोई बोली नहीं दिया जा सकता है। बोली के अंतिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिए बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नहीं होती है।

7) ई निविदा सह ई नीलामी की काल योजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी -

प्री-बिड अर्नेस्ट मनी जमा करने की अवधि	ई-निविदा से पूर्व एम०एस०टी०सी० में अपेक्षित प्री बिड ईएमडी एवं आवेदन शुल्क एम०एस०टी०सी० वेबसाइट पर वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार जमा करने की जिम्मेदारी बोलीदाता की है एवं बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लें।	
प्रथम चरण ई-निविदा (ई-टेण्डर) की अवधि	22-02-2024 (10:00 बजे) से 28-02-2024 (17:00 बजे) तक	
विज्ञप्ति में क्षेत्र क्रमांक संख्या	प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा (बिड) का खोला जाना व मूल्यांकन	द्वितीय चरण की ई-नीलामी
1	29-02-2024 10:00 से 12:00 तक	29-02-2024 12:00 से 14:00 तक
2	29-02-2024 13:00 से 15:00 तक	29-02-2024 15:00 से 17:00 तक
3	01-03-2024 10:00 से 12:00 तक	01-03-2024 12:00 से 14:00 तक

8) परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन:-

(क) प्रथम चरण की निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer) के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात् अधिकतम निविदा धनराशि (बिडिंग एमाउण्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य है अथवा नहीं को भी लॉगिन कर जान सकते है।

(ख) एकल निविदा के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की ई-नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम०एस०टी०सी० के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।


17.पट्टे का दिया जाना :- उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली - 2021 के नियम-28 के प्राविधानों के अनुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को उपरोक्त प्रस्तर-16 (2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे, जो उच्चतम हो। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता / निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर आफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।

18.ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात् 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी, जहां क्षेत्र स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के द्वारा कराना होगा। निदेशक द्वारा मूल अभिलेख के सत्यापन की स्थिति में अभिलेख - सत्यापन की आख्या ई-मेल के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिलेख - सत्यापन के पश्चात् ही जिलाधिकारी द्वारा आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण-पत्र कूटरचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता

है, तो लेटर ऑफ इन्टेंट जारी नहीं किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।

19. आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) में निम्न विवरण होंगे :-

- 1) प्रथम वर्ष के लिए देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिये विज्ञप्ति में निर्धारित मात्रा घनमीटर को ई-निविदा / ई-नीलामी की दर रुपये प्रति घनमीटर से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर अनुवर्ती वर्षों के लिए विगत वर्ष से 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि अथवा समय-समय पर नियमावली में विनिर्दिष्ट रॉयल्टी दर जो भी अधिक हो, के आधार की जायेगी, किन्तु अनुवर्ती वर्षों में संदेय धनराशि, नियमावली में विनिर्दिष्ट रॉयल्टी दर से कम नहीं होगी।
- 2) सफल बोलीदाता / निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिये प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली / निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली / निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।
- 3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्तें एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली / निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली - 2021 की चतुर्थ अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी।
- 4) पट्टाधारक नियम-102 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा, जिसमें सीमाबिन्दुओं का जियो - कार्डिनेट्स भी इंगित किया जायेगा तथा नियम-35 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा और इसका अनुरक्षण करेगा।
- 5) चयनित आवेदक नियम - 35 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
- 6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम 35 के अनुसार क्षेत्र के भूमि- उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।
- 7) लेटर ऑफ इन्टेंट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु देय प्रतिभूति एवं प्रथम किश्त की धनराशि जमा होने के प्रमाण सहित खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक माह के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8) पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन एवं पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से तीन माह के भीतर खनन संक्रिया प्रारम्भ की जानी होगी।



9) खनन पट्टाधारक द्वारा ऐसे व्यक्ति, जिसे खनन पट्टा के अन्तर्गत आने वाली भूमि में किसी भी रूप में अधिकार प्राप्त हो, को भूमि की धरातल पर खनन संक्रियाओं के उपयोग करने हेतु ऐसा वार्षिक प्रतिकर देय होगा, जो पट्टाधारक एवं व्यक्ति के बीच तय हो। जहाँ खनन पट्टाधारक और भूमि की सतह के स्वामी वार्षिक प्रतिकर की धनराशि पर सहमत न हो और उसके सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो जिलाधिकारी द्वारा उसका अवधारण मान्य होगा।

20. सफल बोलीदाता / निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :

1) स्वीकृत पट्टे की अवधि अधिकतम 30 वर्ष के लिये होगी, परन्तु बोली / निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिये मानी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न होगी तो पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र की मात्रा अनुमन्य होगी। पट्टा क्षेत्र हेतु अनुमन्य मात्रा को प्रथम वर्ष के लिये प्राप्त बोली की दर से गुणा कर प्रथम वर्ष हेतु ई-नीलामी की धनराशि निर्धारित की जायेगी। अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी तथा तदनुसार प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिए पट्टा धनराशि उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।

2) आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता / निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 25 प्रतिशत प्रथम किशत अर्थात् पट्टे के प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित पट्टा धनराशि का 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि सम्बन्धित जनपद में विभाग के निर्धारित लेखा शीर्षक में लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के दो कार्यदिवस के अन्दर प्री-विड अर्नेस्टमनी समायोजित करते हुये जमा किया जाना होगा। प्री-विड अर्नेस्टमनी की धनराशि एम०एस०टी०सी० द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को चेक / ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा आनलाइन हस्तांतरित की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता / निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्टमनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।

3) प्रथम वर्ष के लिये शेष 75 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिये पट्टा धनराशि नियमावली में संशोधित चतुर्थ अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

4) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी०सी०एस०, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी०एम०एफ०) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

21. अन्य शर्तें :-

1) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में उपखनिज की उपलब्धता एवं खनन स्थल के लिये पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2) पट्टाधारक पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खननपट्टा क्षेत्र का कार्डिनेट्स अंकित करेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बे को लगायेगा, जो पट्टाविलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिये आवश्यक होगा।

3) ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात् 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी, जहाँ क्षेत्र स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय द्वारा किया जायेगा। सत्यापन हेतु अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी।

4) पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से तीन माह के भीतर पट्टाधारक खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भाँति करेगा।

5) पट्टाधारक उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली - 2021 के नियम - 36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिये स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट / गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट / गेट पर आर०एफ०आई०डी० स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खननपट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम०एम०-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी०सी०टी०वी० कैमरे और आर०एफ०आई०डी० स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम 67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।

6) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम०एम०-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम०एम०-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिये आर०एफ०आई०डी० स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हे सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-2021 के नियम 60 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।

7) पट्टेदार द्वारा सुरक्षा मानकों के अनुसार खनन संक्रिया किया जायेगा।

8) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।

9) ई-निविदा सह ई-नीलामी की बिड / बोली को स्वीकार करने अथवा किसी क्षेत्र के उच्चतम बिड / बोली को कारण अभिलिखित करते हुए अस्वीकार करने का अधिकार जिलाधिकारी का होगा।

10) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।

11) यदि पट्टेधारक द्वारा नियमों व खननपट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

12) मा० उच्च न्यायालय, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों व संगत अधिनियम / नियमावली तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों / निर्देशों / शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पालन किया जायेगा।

13) नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी

पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।

14) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों / अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।

15) सार्वजनिक सड़क, जलाशय, नहर, रेलवे / रेलवे लाइन, निवासित स्थल से 50 मीटर तथा नदी पर बने पुल से न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के अन्दर कोई खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

16) स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुये अन्य शर्तें जो जिलाधिकारी द्वारा उचित समझी जाये।

17) प्रस्तावक पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय में जमा करने के उपरान्त खनन पट्टा विलेख निष्पादित कराकर ही खनन कार्य प्रारम्भ करेगा।

जिलाधिकारी
Prayagraj |

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, Prayagraj मण्डल Prayagraj।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ को दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु।
5. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, Prayagraj।
6. समस्त उपजिलाधिकारी, Prayagraj को तहसील के सूचना पट पर प्रदर्शित करने हेतु।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, Prayagraj।
8. शाखा प्रबन्धक, एम०एस०टी०सी० लि०, सेकेण्ड फ्लोर सेन्टर कोर्ट बिल्डिंग, पार्क रोड हजरतगंज, लखनऊ।
9. जिला सूचना अधिकारी, Prayagraj को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
10. अध्यक्ष, नगर पंचायत, Prayagraj।
11. अध्यक्ष, जिला पंचायत, Prayagraj।
12. नाजिर सदर कलेक्ट्रेट, Prayagraj को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।

जिलाधिकारी
Prayagraj |

रत्नगर्भा वसुन्धरा

